कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति विशिष्ट श्रेणी रामगंजमंडी जिला कोटा (राज0)

क्रमांकः– 622-33 दिनांक :– 03-9-2021

आवंटन सूचना – 01/2021

UBN----------------

कृषि उपज मण्डी समिति रामगंजमंडी के मुख्य मण्डी प्रांगण रामगंजमंडी एंव गौण मण्डी प्रांगण चैचट मे रिक्त निर्मित परिसम्पतियो/भूखण्डो को 99 वर्षीय लीज पर द्वितीय एंव पश्चातवर्ती चरणों में अचल संपति आवंटन नीति–2005 एंव समय–समय जारी संशोधनों के तहत आवंटन करने हेतु मण्डी के समस्त अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों एंव नीति के तहत निर्दिष्ट प्रयोजन के ईच्छुक व्यवसाईयो एंव कम से कम दो वित्तीय वर्ष पूर्व से मण्डी क्षैत्र मे राजस्व अभिलेख में स्वयं के नाम से न्यूनतम एक बीघा भूमि धारक तथा मण्डी क्षेत्र में स्थाई रूप से निवास करने वाली महिला कृषक जिनको पूर्व मे मण्डी प्रांगण/गौण मण्डी प्रांगण में दुकान या भूखण्ड आवंटित नही हुऐ से निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन पत्र पर आमन्त्रित किये जाते है :–

क्र. सं.	नाम मण्डी प्रांगण	रिक्त परिसम्पतियों का विवरण	साईज वर्ग फीट में	कुल रिक्तियां	सामान्य अनुज्ञापत्रधारियों हेतु	आरक्षित					
						महिला कृषक		अनुज्ञापत्रधारी कृषक उत्पादक संगठन/कम्पनी	मण्डी क्षेत्र की अनुज्ञापत्रधारी तेल मील व अन्य कृषि प्रसंस्करण इकाई	जैविक खेती उत्पादक	अनुज्ञापत्रधारी वन उपज व्यापारियो
						सामान्य	अनु0 जाति/अनु0 जनजाति				
1	मुख्य मण्डी प्रांगण रामगंजमंडी	भूखण्ड दुकान मय गोदाम प्लेटफार्म	25'5"x42'6"	12	6	1	1	1	1	1	1
2	मुख्य मण्डी प्रांगण रामगंजमंडी	निर्मित दुकान के पीछे गोदाम	25'x21'9"	1	1	–	–	–	–	–	–
3	गौण मण्डी प्रांगण चैचट	निर्मित दुकान मय प्लेटफार्म	16'x32'	3	2	1	–	–	–	–	–
4	गौण मण्डी प्रांगण चैचट	निर्मित ग्रामीण गौदाम	75 X 30 (250 MT)	1	1	–	–	–	–	–	–
5	मुख्य मण्डी प्रांगण रामजंगजमंडी	निर्मित फुटकर दुकान	10'10"x32' 10'x20'	5 1	**प्रयोजन :–** निर्मित छोटी दुकान का आवंटन खाद–बीज–दवाईयों, बारदाना, पशु आहार, कृषि साहित्य, कृषि यंत्र एंव अन्य सम्बन्धित कृषि व्यवसाय से जुडी विभिन्न वस्तुएं एंव सेवाओं यथा एग्री क्लिनिक वायदा बाजार केन्द्र, बायो प्रोडक्ट शॉप, सर्टिफिकेशन लेब, टेस्टिंग लेबोटरी, गो–सेवा आयोग द्वारा प्रमाणित उत्पादों के विक्रय केन्द्र, निर्यात सलाह केन्द्र, सरस उत्पाद विपणन केन्द्र कियोस्क,एस.टी.डी. पी.सी.ओ. एंव जैविक उत्पादन विक्रय आदि प्रयोजनों हेतु। **आरक्षण** – अनुसूचित जाति –1 अनुसूचित जन जाति–1 कृषि स्नातक – 2 जैविक उत्पाद विक्रय– 2						

अतः इच्छुक अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी/आवेदक इस मण्डी समिति कार्यालय से दिनांक 07.09.2021 से 11.10.2021 तक निर्धारित आवेदन शुल्क राशि 200.00 रूपये जमा कराकर आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते है। आवेदन फार्म की पूर्ण पूर्ति कर मय धरोहर राशि रुपये 10000.00 निर्धारित अंतिम तिथि 18.10.2021 तक मण्डी समिति कार्यालय में जमा करा सकते है। नियत तिथि पश्चात कोई आवेदन स्वीकार नही होगा। आवंटन समिति की बैठक दिनांक के समय भूखण्ड की दर पृथक से निर्धारित व्यवसायिक डी.एल.सी. दर का शत प्रतिशत निर्धारित होगी। आवंटन संबंधित विस्तृत जानकारी/अन्य शर्ते किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में आकर देखी एंव प्राप्त की जा सकती है।

प्रशासक
कृषि उपज मण्डी समिति
रामगंजमंडी

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
रामगंजमंडी

क्रमांकः– 622-33 दिनांक :– 03-09-2021

<u>प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–</u>

1. श्रीमान निदेशक महोदय, कृषि विपणन निदेशालय जयपुर
2. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, कोटा
3. श्रीमान क्षैत्रीय संयुक्त निदेशक महोदय, कृषि विपणन विभाग खण्ड कोटा
4. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका रामगंजमंडी/विकास अधिकारी पंचायत समिति खैराबाद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु
5. अध्यक्ष ग्रेन एण्ड सीडस मर्चेन्ट एसोसियेशन रामगंजमंडी
6. अध्यक्ष किसान संघ रामगंजमंडी
7. सम्पादक राजस्थान पत्रिका/दैनिक नवज्योति कोटा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को कोटा ग्रामीण में न्यूनतम स्थान में एक बार डी.पी.आर. दर पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें
8. प्रोग्रामर कम्प्यूटर सेल कृषि विपणन निदेशालय पंत कृषि भवन जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट http://rasmb.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें
9. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा सूचना को http://sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने की कार्यवाही करे
10. स्टोर शाखा कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का मण्डी प्रांगण में प्लेक्स लगाये
11. केश/लेखा शाखा/आवंटन शाखा
12. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/गौण मण्डी चैचट पर चस्पा हेतु

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
रामगंजमंडी